¹[Rule 88C: Manner of dealing with difference in liability reported in statement of outward supplies and that reported in return

- (1) Where the tax payable by a registered person, in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in FORM GSTR-1 or using the Invoice Furnishing Facility in respect of a tax period, exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished by him in FORM GSTR-3B, by such amount and such percentage, as may be recommended by the Council, the said registered person shall be intimated of such difference in Part A of FORM GST DRC-01B, electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said difference and directing him to:-
 - (a) pay the differential tax liability, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03; or
 - **(b)** explain the aforesaid difference in tax payable on the common portal,

within a period of seven days.

- (2) The registered person referred to sub-rule (1) shall, upon receipt of the intimation referred to in that sub-rule, either,-
 - (a) pay the amount of the differential tax liability, as specified in Part A of FORM GST DRC-01B, fully or partially, along with interest under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part B of FORM GST DRC-01B electronically on the common portal; or
 - (b) furnish a reply electronically on the common portal, incorporating reasons in respect of that part of the differential tax liability that has remained unpaid, if any, in Part B of FORM GST DRC-01B,

within the period specified in the said sub-rule.

(3) Where any amount specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains unpaid within the period specified in that sub-rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in accordance with the provisions of section 79.]

¹ Rule 88C inserted by Noti. No. 26/2022-Central Tax, dt. 26-12-2022.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 88ग : जावक प्रदायों के ब्यरों और विवरणी में रिपोर्ट किये गये दायित्व में अंतर के संबंध की रिति

- (1) जहां रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय कर, उक्त कर अविध के संबंध में, प्ररूप जीएसटीआर 1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुये में, उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये जावक प्रदाय के ब्यूरों के अनुसार, प्ररूप जीएसटीआर 3 ख में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उस अविध के लिये विवरणी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय कर की रकम से अधिक है, ऐसी राशि या ऐसे प्रतिशत से, जो कि परिषद द्वारा अनुशंसित किया जाये, उक्त रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01ख के भाग क में इस तरह के अंतर के बारे में सूचित किया जायेगा और उक्त अंतर को उजागर करते हुये ऐसी सूचना की एक प्रति, रिजस्ट्रीकरण के समय प्रदान किये गये या समय—समय पर संशोधित किये गये, उसकी ई—मेल पते पर भी भेजी जायेगी और उसे निर्देशित किया जायेगा कि या तो—
 - (क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी—03 के माध्यम से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, अंतर करदेयता का संदाय करें, या
 - (ख) सामान्य पोर्टल पर देयकर में पूर्वोक्त अंतर का स्पष्टीकरण करे, सात दिनों की अवधि के भीतर।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिजस्ट्रिकृत व्यक्ति, उस उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर या तो.—
 - (क) प्ररूप जीएसटी डी आर सी 01 ख के भाग क में निर्दिष्ट अंतर कर देयता की राशि का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, प्ररूप जीएसटी डी आर सी 03 के माध्यम से करें और उसके विवरण को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डी आर सी 01 ख के भाग ख में प्रस्तुत करें; या
 - (ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डी आर सी 01 ख में के भाग ख में असंदत्त कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को शामिल करते हुये, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, यदि कोई हो, एक उत्तर प्रस्तुत करें,

सात दिनों की अवधि के भीतर।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कोई भी राशि उस उपनियम में निर्दिष्ट अविध के भीतर असंदत्त रहती है और जहां कोई स्पष्टीकरण या कारण रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां स्पष्टीकरण या कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वस्तुनी योग्य होगी।

¹ अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीयकर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा नियम 88ग अंतस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022) |